रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1008] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 7, 2019/फाल्गुन 16, 1940
No. 1008] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 7, 2019/ PHALGUNA 16, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2019

का.आ. 1142(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (उक्त अधिनियम) की धारा 35(1)(ii) के अंतर्गत अनुमोदन के लिए **मैसर्स एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ट्रस्ट, बारामती, पुणे ('एडीटी') (पैनः-AAATB7892F)** दिनांक 10.03.2018 के आवेदन पर विचार करते हुए, जहां **'शारदाबाई पवार महिला आर्टस, कॉमर्स तथा साइंस कॉलेज, कॉलेज आफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइसेंस तथा कृषि विज्ञान केंद्र, बारामती की 'विश्वविद्यालय कॉलेज अथवा अन्य संस्थान'** की श्रेणी में इसके तत्वाधान के अंतर्गत निम्नलिखित तीन इकाइयों के लिए अनुमोदन मांगा गया है। सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि आयकर नियमावली, 1962 (उक्त नियमावली) के नियम 5ग और 5ड. के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनार्थ **एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ट्रस्ट बारामती पुणे के तत्वाधान के अंतर्गत उक्त तीनों इकाइयों को निर्धारण वर्ष 2018-19 और इससे आगे की अवधि के लिए** केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन अनुसंधान कार्यों से जुड़े **'विश्वविद्यालय, कॉलेज अथवा अन्य संस्थान'** की श्रेणी में अनुमोदित किया जाता है, नामतः—

(i) एडीटी की अनुमोदित इकाईयों को प्रदत्त राशि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयोग की जाएगी।

(ii) एडीटी की अनुमोदित इकाईयां अनुसंधान कार्यों को अपने संकाय सदस्यों या नामांकित विद्यार्थियों के माध्यम से करेगा;

(iii) एडीटी की अनुमोदित इकाइयां वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, इसके द्वारा प्राप्त राशि के संबंध में अलग लेखा बहियां रखेंगी जिनमें अनुसंधान करने के लिए प्रयुक्त राशि दर्शाई गई हो; उक्त अधिनियम की धारा 288 की उप-धारा (2) के स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित लेखाकार द्वारा ऐसी बहियों की लेखा-परीक्षा कराएंगी और ऐसे लेखा-परीक्षित की रिपोर्ट को ऐसे लेखाकार द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित और सत्यापित कराकर मामले के क्षेत्राधिकार संबंधी आयकर आयुक्त या निदेशक को उक्त अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आय विवरणी की नियत तारीख तक प्रस्तुत करेंगी;

(iv) एडीटी की अनुमोदित इकाइयां, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त दान तथा प्रयुक्त राशि का अलग **विवरण रखेंगी, ऐसे** दान का उपयोग केवल मूलभूत वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाएगा और उपयुक्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत सत्यापित ऐसे विवरण की प्रति प्रस्तुत करेंगी।

(v) एडीटी की अनुमोदित इकाइयां धारा 139 की उपधारा (1) के तहत आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख तक आयकर आयुक्त या आयकर निदेशक को एक विवरण प्रस्तुत करेंगी, जिसमें निम्नलिखित बाते होंगीः—

- पिछले वर्ष के दौरान उसके द्वारा किए गए अनुसंधान कार्य का एक विस्तृत ब्यौरा;
- वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित अनुसंधान कार्यों का सारांश;
- वर्ष के दौरान लागू होने अथवा पंजीकरण के लिए कोई पेटेंट अथवा अन्य इसी प्रकार का अधिकार;
- आगामी वर्ष के दौरान किए जाने वाले अनुसंधान परियोजनाओं का कार्यक्रम और ऐसे कार्यक्रम के लिए वित्तीय आबंटन।

2. केंद्र सरकार यह अनुमोदन वापस ले लेगी यदि अनुमोदित संगठन:—

(क) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में यथा उल्लिखित **अलग लेखा बहियां** रखने में असफल रहता है; अथवा

(ख) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में यथा उल्लिखित अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहता है; अथवा

(ग) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iv) में यथा उल्लिखित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त दान एवं प्रयुक्त धनराशि का विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहता है; अथवा

(घ) अपने अनुसंधान कार्यकलापों को करना बंद कर देता है अथवा इसके अनुसंधान कार्यकलापों को वास्तविक नहीं पाया जाता है; अथवा

(ड.) उक्त नियमावली के नियम 5ग और 5ड. के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है तथा उनका पालन नहीं करता है।

[अधिसूचना सं. 14/2019/फा. सं. 203/09/2018-आ.क.नि.-II]

राजाराजेश्वरी आर., अवर सचिव